न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 58 / 2021

1 नरसीराम पुत्र भूदा जाति माली निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ग्यारसीलाल पुत्र भुदा।

2 बंशी पुत्र भुदा।

3 रिछपाल पुत्र भुदा समस्त जाति माली निवासीगण दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 महेश कुमार पुत्र घनश्यामदास जाति महाजन निवासी ब्रांच रामटेकरी जुगसलाई जमशेदपुरा झारखण्ड।

5 कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजीतगढ़ जिला सीकर।

6 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजीतगढ़ जिला सीकर।

7 अधिशाषी अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

8 चैयरमेन अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर।

9 गिरदावर हल्का दिवराला।

10 उप पंजियक अजीतगढ़।

11 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर
जिला सीकर दिनांक 07.04.2021 अपील अन्तर्गत
धारा 225 आर.टी.एक्ट उनवानी प्रकरण ग्यारसीलाल
बनाम नरसीराम आवेदन संख्या 24/2021

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–11-10-21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा विचारण न्यायालय मे एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 07.04.2021 को अन्तरिम आदेश इस आशय का पारित किया की उभयपक्षकारान को जवाब पेश करने तक विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 3382,3383,3384 कुल किता तीन कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा बिना न्यायालय की अनुमती के विधुत लाईन नही खीचने एवं विधुत कनेक्शन जारी नही किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जारी की। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील अन्दर मियाद शूमार की जावें। विचाराधीन आदेश से पूर्व अप्रार्थीगण ने मौके पर विधुत लाईन डाल दी थी। केवल ट्रांस्फार्मर रखना शेष है। स्थगन की आड़ में ट्रांस्फार्मर नही रखने दे रहे है। विधुत उपभोग कृषि कार्य में कृषि सुधार की परिभाषा में आता है। अत विधुत सम्बंध की हद तक स्थगन अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ए.वी.वी.एल.एन ने तर्क दिया कि डिमाण्ड नोटिस जारी होकर कार्यालय आदेश जारी हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा तकमीना के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई है। निगम द्वारा लाखो रूपये खर्च करके सामान लगा दिया गया है। एक पक्षीय स्थगन के कारण ट्रास्फार्मर नही रखा जा सका है। बिजली पानी का कार्य मुलभूत सुविधा में आता है। जनहित का कार्य है। स्थगन से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अत स्थगन आदेश को विभाग की हद तक अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने तर्क दिया है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्व अपील है। पक्षकारो में भूमि के विभाग को लेकर विवाद है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही नही की है। धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय करने से पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व अपील है। पक्षकारो में भूमि के विभाजन को लेकर विवाद है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही नही की है। धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय करने से पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11-10-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राज़स्व अपील प्राधिकारी,
सीकर